संख्या- 71 /2019 / 521 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2019**

विषय:- वर्ष 2018 के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 609/सं0नि0-15(10)/2018-19 दिनांक 02 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018 के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिए जाने हेतु दिनांक 28.05.2018 को सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 1,65,500/- (रूपये एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 1,65,500/- (रूपये एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट शासन को अवलोकित कराने के उपरान्त ही, भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 1,65,500/- (रूपये एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 71 /2019/ 521 /चार-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/